

# न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/185/2022

रजू दिनांक: 22.12.2022

रजि0 न0 2022/552

अपीलार्थी:-

श्री रामअवतार शर्मा, निवासी सी-70, हसन  
खां मेवात नगर अलवर, जिला अलवर  
(राज0)

प्रत्यर्थी:-

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर  
विकास न्यास, जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 31.01.2023

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 21.06.2022 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 17.01.2022 को उपस्थित आवे।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा लोक सूचना अधिकारी से जवाब आदिनांक तक अप्राप्त है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार किये जाने योग्य है।
5. अतः लोक सूचना अधिकारी के जवाब के अभाव में एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी पदेन सचिव नगर विकास न्यास, अलवर को निर्देशित किया जाता है, की सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रथम आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें साथ ही निर्देशित किया जाता है, की यदि सूचना देयता की श्रेणी में हो तो अपीलार्थी को वांछित सूचना निशुल्क उपलब्ध कराई जावे, निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे।
6. उक्त आलोक में अपील अपीलांत स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे।
7. निर्णय आज दिनांक 31.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)  
जिला कलक्टर अलवर (राज0)